

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 236]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 31 मई 2021—ज्येष्ठ 10, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मई 2021

क्र. एफ ए 3-40-2018-1-पांच-(28).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्र. 20 सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-40-2018-1-पांच-(64), भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2019 एवं क्र. एफ ए 3-46-2019-1-पांच-(91), भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2019 सहपठित अधिसूचना क्र. एफ ए 3-40-2018-1-पांच (14), भोपाल, दिनांक 25 फरवरी, 2021 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचनाओं में अंक एवं शब्द “31 मई 2021” के स्थान अंक एवं शब्द “30 अक्टूबर 2021” प्रतिस्थापित किये जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2021

क्र. एफ ए 3-40-2018-1-पांच-(28).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-40-2018-1-पांच-(28), दिनांक 31 मई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 31st May 2021

No. F A 3-40-2018-1-V-(28).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification No. F A 3-40-2018-1-V-(64), dated 27th September 2019 and No. F A 3-46-2019-1-V-(91), dated 29th November 2019 read with Notification No. F A 3-40-2018-1-V-(14), dated 25th February 2021, namely :—

AMENDMENT

In the said notifications, for the word and figure "31st May 2020", the word and figure "30th October 2021" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.